न्यायालय उपखण्डअधिकारीरायसिंहनगर
पीठासीनअधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

सं. 15/25
सीएमएस : 2025/18

1. रणजीत सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी 1 एलपीएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)। —:वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, रायसिंहनगर।
2. बैंक ऑफ बडौदा जरिये शाखा प्रबंधक शाखा रायसिंहनगर।

—:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—188—209 आर.टी.एक्ट
तारीख रजू 27.01.2025

अधिवक्ता

1. **श्री अवतार सिंह बराड़ वादी अधि.**
2. **श्री जगदीश प्रसाद जोशी प्रति. सं. 2।**
3. **राजपेराकार सरकार प्रति.सं. 1।**

दिनांक : 27.02.2026

—: निर्णय :—

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि चक 1 एल पी एम तहसील रायसिंहनगर का मु0नं0 10 पं०नं० 258/359 के किला नं0 8/1 ता 17 व 19 ता 22 व 24/1 व 25/2 में कुल 3.634 है० भूमि में सुखमन्दर सिंह पुत्र श्री भूर सिंह के नाम से 844/1817 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है जिस पर सुखमन्दर सिंह को हर प्रकार से हक व हकूक प्राप्त थे। सुखमन्दर सिंह को अपने घरू जरूरतों के लिये रूपयों की आवश्यकता थी तो उसके द्वारा अपने नाम की उपरोक्त खातेदारी भूमि मु०नं० 10 पं0नं0 258/359 के अपने 844/1817 हिस्स यानि की 1.688 है० भूमि विक्रय का सौदा 7,70000/— रूपये अखरे सात लाख सत्तर हजार रूपये में वादी के साथ कर लिया तथा विक्रीत भूमि का बैयनामा उप पंजीयक समेजा के यंहा दिनांक 08.09.2017 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 31 में पृष्ठ संख्या 83 के कम संख्या 201703413100844 पर पंजीबद्ध कर अतिरिक्त पुस्तक संख्या जिल्द संख्या 119 के पृष्ठ संख्या 59 से 66 पर चस्पा किया गया। सुखमन्दर सिंह को वादग्रस्त भूमि पर जो भी विधिक अधिकार थे उसके द्वारा वे समस्त विधिक अधिकार जो उसे वादग्रस्त भूमि पर प्राप्त थे जरिय बैयनामा दिनांक 08.09.2017 को वादी को हस्तांतरित कर दिये तथा वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी को सौंप दिया जो वादी के पास शांतिपूर्ण चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि पर सुखमन्दर सिंह के द्वारा अपने नाम की भूमि वाके चक 1 एल पी एम का मु0नं0 10 पं0नं0 258/359 के 3.634 है0 में अपने हिस्सा में से 662/1817 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्याा 2 से केसीसी ऋण लिया हुआ था जिस कारण यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे प्र[illegible] 2 के [illegible] है जिस कारण से बैयनामा का इंतकाल राजस्व रिकॉर्ड में वा[illegible] से दर्ज नहीं हो सका। बैयनामा की शर्तों के अनुसा[illegible]या सुखमन्दर सिंह ने अदा करना था परन्तु उ[illegible] में बेईमानी [illegible] गई जिस कारण से उसके द्वारा प्रतिवादी संख्या का [illegible] किया। प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:38:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

संख्या 2 का ऋण अदा न होने के कारण वादी के बैयनामा का नामान्तरण वादी के नाम से दर्ज नहीं हो रहा था तो वादी के द्वारा सुखमन्दर सिंह के नाम का ऋण अदा करने हेतू प्रतिवादी संख्या 2 से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा कहा गया कि एन.ओ.सी. जारी जारी करने के लिये सुखमन्दर सिंह की आवश्यकता है परन्तु सुखमन्दर सिंह नहीं आ रहा जिस कारण से एन.ओ.सी. जारी नहीं हो सकती इसलिये आप न्यायालय से आदेश लेकर आओ तो एन. ओ. सी. जारी हो सकती है प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा दिनांक 24.01.2025 को सक्षम न्यायालय का आदेश लाने को कहा बस यही तारीख बिनाय मुखास्मत है बिनाय दावा वादी को बैयनामा के रोज से प्राप्त है। सुखमन्दर सिंह के द्वारा अपने नाम की भूमि वाके चक 1 एल पी एम का मु०नं० 10 पं०नं0 258/359 के 3.634 है० में अपने हिस्सा मे से 844/1817 हिस्सा जरिये बैयनामा दिनांक 08.09.2017 के मुझ वादी को विक्रय किया हुआ है अब उसका इस भूमि में कोई सरोकार नहीं है तथा वादी प्रतिवादी संख्या 2 का समस्त बकाया अदा करने को तैयार है परन्तु वह एन.ओ.सी. जारी नहीं कर रहा जिसके लिये श्रीमान न्यायालय के आज्ञा की आवश्यकता है अगर प्रतिवादी संख्या 2 एन.ओ.सी. जारी नहीं करता तो वादी के विधिक अधिकारों का हनन होगा इसलिये वादी को न्यायालय की शरण में आना पड रहा है। बैयनामा दिनांक 08.09.2017 की पालना में वादी वादग्रस्त भूमि वाके चक 1 एल. पी. एम. का मु०नं० 10 पं.नं. 258/359 के 3.634 है0 में अपने हिस्सा में से 844/1817 हिस्सा जो सुखमन्दर सिंह के नाम से है, का वादी खातेदारी अधिकारी हो गया है तथा बैयनामा के आधार पर वह उपरोक्त रकबा खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 भू–स्वामी है इसलिये उसे पक्षकार बनाया गया है जिसके द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करना है। वाद वादी श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो उचित न्यायशूल्क पर अन्दर मियाद पेश है। लिहाजा वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे कि चक 1 एल पी एम तहसील रायसिंहनगर का मु0नं0 10 पं0नं0 258/359 के किला नं0 8/1 ता 17 व 19 ता 22 व 24/1 व 25/2 में कुल 3.634 है0 भूमि में सुखमन्दर सिंह पुत्र श्री भूर सिंह के नाम से 844/1817 हिस्सा यानि की 1.688 है० भूमि बैयनामा दिनांक 08.09.2017 के आधार पर वादी की खातेदारी है। प्रतिवादी संख्या 2 को आदेशित किया जावे कि वह सुखमन्दर सिंह पुत्र श्री भूर सिंह के नाम की भूमि चक 1 एल पी एम तहसील रायसिंहनगर का मु0नं0 10 पं.नं. 258/359 के किला नं0 8/1 ता 17 व 19 ता 22 व 24/1 व 25/2 में कुल 3.634 है० भूमि में सुखमन्दर सिंह पुत्र श्री भूर सिंह के नाम से 844/1817 हिस्सा में से 662/1817 हिस्सा जो उसके यहां रहन है को वादी समस्त ऋण राशि जो बकाया है को भरवाकर एन.ओ.सी. जारी कर वादी को सूपूर्द करे। घोषणा अनुसार भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में बैयनामा के आधार पर वादी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करें । अन्य कोई अनुतोष जो [illegible] वादी के पक्ष में उचित समझे दिलावाया जावे ।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण [illegible] जरिये सम्मन तलवाना तलब किया गया प्रतिवादी सं. 2 की तरफ से श्री जगदीश जोशी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 1 की तरफ से उप

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:38:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

तहसीलदार समेजा ने सरकार की तरफ से जबाव दावा पेश किया। प्रति. सं. 2 जरिये अधिवक्ता स्वयं उपस्थित होकर वाद पत्र स्वीकार करने पर **No Objection** किया।

बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं प्रति. सं. 2 के द्वारा वाद पत्र वादी स्वीकार करने पर सहमति दी है इसलिए वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को अनुतोष प्रदान किया जावे। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने वाद पत्र वादी स्वीकार करने पर **No Objection** किया।

. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वाद पत्र वादी, शपथ पत्र, वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात भूमि का बैयनामा उप पंजीयक समेजा के यंहा दिनांक 08.09.2017 पंजीकृत दस्तावेज एवं प्रति.सं. 2 की सहमति के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

5. –:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार परं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 88–188–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर वाके चक 1 एल पी एम तहसील रायसिंहनगर का मु0नं0 10 पं0नं0 258/359 के किला नं0 8/1 ता 17 व 19 ता 22 व 24/1 व 25/2 में कुल 3.634 है0 भूमि में सुखमन्दर सिंह पुत्र श्री भूर सिंह के नाम से 844/1817 हिस्सा यानि की 1.688 है० भूमि बैयनामा दिनांक 08.09.2017 के आधार पर वादी की खातेदार घोषित किया जाता है। शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ोदा रायसिंहनगर को आदेशित किया जाता है कि सुखमन्दर सिंह पुत्र श्री भूर सिंह के नाम से 844/1817 हिस्सा यानि की 1.688 है० भूमि बैयनामा दिनांक 08.09.2017 के आधार पर वादी से समस्त ऋण राशि जो बकाया है को भरवाकर एन.ओ.सी. जारी कर वादी को सुपुर्द करे। तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात किसी न्यायालय का स्थगन न होने के स्थिति में राजस्व रिकार्ड में बैयनामा के आधार पर वादी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। पालना हेतु डिग्री जारी हो। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर/शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ोदा रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:38:51 IST
Reason: SelfAttested